रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1993/माघ 19, 1914
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1993/MAGHA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1993

का. नि. आ. 2(अ):—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उत्तर कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा मेजर वी. के. तिवारी का त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने के कारण छावनी परिषद्, जम्मू की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल स. 29/सामान्य/चुनाव/सी/डी ई/90/310/डी (क्यू एण्ड सी)]

रंगन दत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1993

S.R.O. 2(E).—In pursuance of sub section (7) of section 13 the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jammu by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of the resignation of Major V. K. Tiwari.

[F. No. 29|General|Elec.|C|DE|90|310|D(Q&C)]

RANGAN DUTTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1993

का. नि. आ. 3(अ) :—अधिसूचना स. 2-ई दिनांक 31 जनवरी, 1992 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि के बाद कि छावनी परिषद् के प्रशासन हेतु छावनी परिषद् के संविधान को परिवर्तित रखना वांछनीय है, एतद्द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत घोषणा करती है और निदेश देती है कि उक्त परिषद् का कार्यकाल, 31-3-1993 से या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठित होने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष तक बढ़ा हुआ माना जाएगा।

[फाइल स. 29/जनरल/चुनाव/सी/डी ई/90/310/डी (क्यू एण्ड सी)]

रंगन दत्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1993

S.R.O. 3(E).—Further to the notification No. 2(E) dated 31st January, 1992 the Central Government having been satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to keep the constitution of the Cantonment Board varied hereby makes a declaration under sub-section (4) of section 14 of the Cantonment Act, 1924 to that effect and directs that the term of the said Board shall stand extended for a period of one year with effect from 31-1-1993 or till the Board is constituted under section 13 of the said Act whichever is earlier.

[F. No. 29|General|Elect.|C|DE|90|310|D(Q&C)]

RANGAN DUTTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993